न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

क्रमांक / कोर्ट / 2025 / 783 दिनांक : 02/07/2025

तहसीलदार,
तहसील, जालसू,
जयपुर।

विषयः—प्रकरण संख्या 16 / 2024 बउनवानी लच्छू बनाम गजेन्द्र वगै0 में निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 25.06.2025 की पालना में पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद संख्या 16 / 2024 बउनवानी लच्छू बनाम गजेन्द्र वगै0 में निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.06.2025 की छायाप्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो पालना कर पालना रिपोर्ट अतिशीघ्र न्यायालय में भिजवायें।

संलग्नः—1. प्रतिलिपि निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 25.06.2025
2. नक्शा ट्रेस

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:47:31 IST
Reason: SelfAttested

phone no. : 0141-2209013 (O) Email: acm.amer.jpr@gmail.com

फर्द अहकाम

लक्ष्मण बनाम गजेन्द्र

नाम न्यायालय ACM आमेर-जयपुर

केस संख्या 16/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	10.6.25	पत्रावली प्रस्तुत । वि०न्या० उप० । पत्रावली इन्तकाल कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु दिनांक 25/06/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर प्र० जयपुर	कुर्रेजात जारी (24.6.2025)
	25.6.25	पत्रावली प्रस्तुत । व०फ०उप०। तहसीलदार से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो चुके हैं। पक्ष सुनी गई। तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात के आधार पर वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर प्र० जयपुर	LTI आज्ञा डि.-होल्डर कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं है Ratna 26/6/25 रघुवीर (डि. होल्डर) की शिनाख्त की जाती है तहसीलदार 783 04/07/2025

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:47:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या 16 / 2024 वाद प्रस्तुति दिनांक : 02.02.2024

लच्छू पुत्र श्री भगता उम्र 78 वर्ष जाति बागड़ा ब्राहमण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण।

........वादी

बनाम

1. गजेन्द्र पुत्र नाथूराम दत्तक पुत्र हनुमान
2. नन्दकिशोर पुत्र नाथूराम
3. बाबूलाल पुत्र नाथूराम
4. मनफूली पत्नी नाथूराम
5. महादेव के पुत्र राधेश्याम
6. सीता देवी पुत्री नाथूराम

   समस्त जाति बागड़ा ब्राहमण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू, तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण।
8. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक जालसू, तहसील जालसू, जिला जयपुर ग्रामीण।

.........प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

दिनांक 25.06.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि खाता संख्या नया 207 व खाता संख्या पुराना 186 भूमि खसरा नम्बर 425 रकबा 1.9500 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 1.9500 हैक्टेयर वाके ग्राम राधाकिशनपुरा, पटवार हल्का राधाकिशनपुरा, भू.अ.नि. राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू जिला जयपुर (ग्रामीण) में स्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि जोत की खातेदारी वादी लच्छु पुत्र भगताराम का हिस्सा 157 / 390, प्रतिवादी संख्या–1 का हिस्सा 1 / 6, प्रतिवादी संख्या–2 हिस्सा 157 / 1560, प्रतिवादी संख्या–3 का हिस्सा 157 / 1560, प्रतिवादी संख्या–4 157 / 1560, प्रतिवादी संख्या 5 हिस्सा 11 / 390, प्रतिवादी संख्या 6 हिस्सा 157 / 1560, राजस्व भू–अभिलेखों में इसी प्रकार इन्द्राजात दर्ज हैं। और इसी के अनुसार संयुक्त खातेदारी एवं काश्त की भूमि है राजस्व भू–अभिलेखों में इसी प्रकार इंद्राज चला आ रहा है। लगान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 देय है। जो सभी सह–कृषक अपने–अपने हिस्से के अनुसार देय करते चले आ रहे हैं। खसरा नम्बर 425 रकबा 1.9500 हैक्टेयर कुल कित्ता 01 कुल रकबा 1.9500 हैक्टेयर निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा, पटवार हल्का राधाकिशनपुरा, भू अ.नि. राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर (ग्रामीण) जो कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की संयुक्त खातेदारी की भूमि

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:47:31 IST
Reason: SelfAttested

है, राजस्व भू—अभिलेखों में इसी प्रकार इंद्राजात दर्ज है। वादपत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमि कुल किता 01 कुल रकबा 1.9500 हैक्टेयर ही इस दावे में विवादित भूमि है जिसे वादपत्र में आगे भूमि विवादग्रस्त से सम्बोधित किया गया है। राजस्व भू—अभिलेखों में खसरा नम्बर 425 रकबा 1.9500 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 1.9500 हैक्टेयर की भूमि संयुक्त कृषि जोत के रूप में दर्ज है और मौके पर उक्त भूमि का आपसी सहमति से विभाजन किया जाकर मौके पर अपने हिस्से 157 / 390 के अनुसार वादी काबिज है। राजस्व भू—अभिलेखों में भूमि संयुक्त कृषि जोत के रूप में ही दर्ज होने की वजह से अब सहकृषकों के मध्य विवाद उत्पन्न न हो इससे पूर्व ही उक्त भूमि का मौके पर विधिवत रुप से विभाजन किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के मध्य यह आपसी सहमति से बंटवारा के अनुसार वाद—पत्र के साथ संलग्न नक्शे में वादी के हिस्से में आयी भूमि को हरे रंग से दर्शाया गया है जिस पर वादी अपने हिस्सेअनुसार भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है एवं उसका उपयोग एवं उपभोग करता चला आ रहा है। वाद—पत्र के साथ संलग्न नक्शा वाद—पत्र का अभिन्न अंग समझा जावे। वादी ने दिनांक 24.01.2024 को प्रतिवादीगण से अपने भूमि की खातेदारी आपसी सहमति से किये गये विभाजन एवं मौके पर काबिज काश्त अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाने तथा अपने 157 / 390 हिस्से का विभाजन करवाने एवं वादी का पृथक खाता कायम करवाने का अनुरोध किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने वादी के उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने वादी के प्रस्ताव को ना सिर्फ अस्वीकार कर दिया अपितु वादी को यह धमकी दी कि हम ना तो भूमि की खातेदारी का कोई विभाजन करवायेंगे और ना ही विवादित भूमि के किसी भी भू—भाग पर आपको उपयोग—उपभोग करने देंगे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा दी गयी उक्त धमकी की वजह से वादी को अपनी खातेदारी की भूमि का विभाजन करवा कर अपना खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष यह वाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नही रह गया ओर इसीलिये वादी माननीय न्यायालय के समक्ष अविलम्ब यह वाद प्रस्तुत कर रहा है। वादी अधिकारी है कि वह अपनी खातेदारी भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 425 रकबा 1.9500 हैक्टेयर के 157 / 390 हिस्से अर्थात 0.7850 हैक्टेयर को समस्त राजस्व भू—अभिलेखों में अपने नाम अंकित करवा कर भूमि को संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार विधिवत विभाजित करवा कर अपना अलग खाता व लगान कायम करवा कर प्रतिवादीगण के विरुद्ध विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष माननीय न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:47:31 IST
Reason: SelfAttested

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

प्रतिवादी संख्या 5 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 03.09.2024 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादीगण ने जवाब दावे के कई अवसर देने के उपरांत भी जवाब दावा पेश नहीं करने पर जवाब दावे का अवसर बंद किया गया। बहस सुनी

जाकर वाद प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार जालसू को कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर होने पर उभयपक्ष को बहस हेतु अवसर दिया गया। बहस सुनी गई। तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. राधेश्याम पुत्र महोदव हि. पूर्ण जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 425/1 रकबा 0.0550 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. लच्छू पुत्र भगता हि. पूर्ण जाति बागडा ब्राहम्ण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 425/2 रकबा .7760 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. गजेन्द्र पुत्र नाथूराम दत्तक पुत्र हनुमान सहाय हि. 322/1099, नंदकिशोर पुत्र नाथू हि. 111/628, बाबूलाल पुत्र नाथू हि. 111/628, मनफूली पत्नी नाथू हि. 111/628, सीतादेवी पुत्री नाथू हि. 111/628 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 425/4 रकबा .3600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 425/5 रकबा .2550 हैक्टेयर, खसरा नंबर 425/6 रकबा .4840 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.0990 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
4. गजेन्द्र पुत्र नाथूराम दत्तक पुत्र हनुमान सहाय हि. 3/20, नंदकिशोर पुत्र नाथू हि. 1/10, बाबूलाल पुत्र नाथू हि. 1/10, मनफूली पत्नी नाथू हि. 1/10, सीतादेवी पुत्री नाथू हि. 1/10, लच्छू पुत्री भगता 9/20 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 425/3 रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:47:31 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या 16 / 2024 — वाद प्रस्तुति दिनांक : 02.02.2024

लच्छू पुत्र श्री भगता उम्र 78 वर्ष जाति बागड़ा ब्राहमण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण।

........वादी

बनाम

1. गजेन्द्र पुत्र नाथूराम दत्तक पुत्र हनुमान
2. नन्दकिशोर पुत्र नाथूराम
3. बाबूलाल पुत्र नाथूराम
4 मनफूली पत्नी नाथूराम
5. महादेव के पुत्र राधेश्याम
6. सीता देवी पुत्री नाथूराम

समस्त जाति बागड़ा ब्राहमण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू, तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण।
8. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक जालसू, तहसील जालसू, जिला जयपुर ग्रामीण।

.........प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. राधेश्याम पुत्र महोदव हि. पूर्ण जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 425 / 1 रकबा 0.0550 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. लच्छू पुत्र भगता हि. पूर्ण जाति बागडा ब्राहम्ण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 425 / 2 रकबा .7760 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. गजेन्द्र पुत्र नाथूराम दत्तक पुत्र हनुमान सहाय हि. 322 / 1099, नंदकिशोर पुत्र नाथू हि. 111 / 628, बाबूलाल पुत्र नाथू हि. 111 / 628, मनफूली पत्नी नाथू हि. 111 / 628, सीतादेवी पुत्री नाथू हि. 111 / 628 जाति बागडा ब्राहम्ण सा[illegible]तेदार के हिस्से खसरा नंबर 425 / 4 रकबा .3600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 425 / 5 रकबा .25[illegible] हैक्टेयर, खसरा नंबर 425 / 6 रकबा .4840 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा [illegible] भूमि रहेगी।
4. गजेन्द्र पुत्र नाथूराम दत्तक पुत्र हनुमान सहाय हि. [illegible] / 20, नंदकिशोर पुत्र नाथू हि. 1 / 10, बाबूलाल पुत्र नाथू हि. 1 / 10, मनफूली पत्नी नाथू हि. 1 / 10, सीतादेवी पुत्री नाथू हि. 1 / 10, लच्छू पुत्री भगता 9 / 20 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 425 / 3 रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:47:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 16 / 2024
बउनवानी – लच्छू बनाम गजेन्द्र वगै0
निर्णय दिनांक :– 25.06.2025

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 25.06.2025 को जारी किया।

दस्तखत----
ओहदा----

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

गुद्दई	रूपये	पैसे	गुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
गुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:47:31 IST
Reason: SelfAttested

...ीय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर मु.जयपुर के वाद संख्या 16/24 उनवान लच्छू बनाम गजेन्द्र वगैरह में निर्णय व डिक्री दिनांक 08/01/25 की ...ना में ग्राम राधाकिशनपुरा आराजी खसरा न. 425 – कुल किता 01 रकबा 1.95 हे. पर कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु नोटिस दिनांक 09/06/25 की ...लना में आज दिनांक 13/06/25 को बहमराह उपतहसीलदार मुण्डोता भू.अ.नि. वृत RKP प.ह. RKP के साथ मौके पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में निम्न प्रकार कुरेजात रिपोर्ट तैयार ...की गयी :-

जमाबंदी अनुसार वर्तमान प्रविष्टि						कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि					
क्र. सं.	जमाबंदी अनुसार वर्तमान खातेदार	ख. न.	रकबा	किस्म	लगान	क्र. सं.	प्रस्तावित प्रविष्टि कुरेजात रिपोर्ट अनुसार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	गजेन्द्र पुत्र नाथूराम दत्तक पुत्र हनुमान सहाय हि. 1/6, नंदकिशोर पुत्र नाथू 157/1560, बाबुलाल पुत्र नाथू 157/1560, मनफूली पत्नि नाथू 157/1560, राधेश्याम पुत्र महादेव 11/390, लच्छू पुत्र भगता 157/390, सीतादेवी पुत्री नाथू 157/1560 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा. देह खातेदार	425 01	1.95 1.95			(1)	राधेश्याम पुत्र महादेव हि. पूर्ण जाति बागड़ा ब्राह्मण सा. देह खातेदार	425/1	0.0550		
						2.	लच्छू पुत्र भगता हि. पूर्ण जाति बागड़ा ब्राह्मण सा. देह खातेदार	[illegible]	[illegible]		
						3.	गजेन्द्र पुत्र नाथूराम दत्तक पुत्र हनुमान सहाय हि. 322/1099, नंदकिशोर पुत्र नाथू हि. 111/628, बाबूलाल पुत्र नाथू हि. 111/628, मनफूली पत्नि नाथू हि. 111/628, सीतादेवी पुत्री नाथू हि. 111/628 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा. देह खातेदार	[illegible] 425/5 425	.3600 .2550 .4840		
								6	1.0990		

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

13/6/25
उप तहसीलदार
मुण्डोता तह.–जालसू

13/6/2025
ILR Radhakishanpura

पटवारी राधाकिशनपुरा

13/6/25
तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील, जालसू

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:47:31 IST
Reason: SelfAttested

जमाबंदी अनुसार वर्तमान प्रविष्टि					कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि					
जमाबंदी अनुसार वर्तमान खातेदार	ख. न.	रकबा	किस्म	लगान	क्र. सं.	प्रस्तावित प्रविष्टि कुरेजात रिपोर्ट अनुसार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
					5.	गजेन्द्र पुत्र नाथूराम दत्तक पुत्र हनुमान सहाय हि.3/20, नंदकिशोर पुत्र नाथू 1/10 बाबूलाल पुत्र नाथू 1/10, मनभूली पत्नि नाथू 1/10, सीतादेवी पुत्री नाथू 1/10, छद्दू पुत्र भगता 9/20 हि. जाति बागड़ा ब्राह्मण सा. देह खातेदार	425/3	0.02		
							01	0.02		

उप तहसीलदार
मुण्डोता तह.—जालसू

सहायक कलक्टर
आमेर प्र. जयपुर

13/6/25

तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील, जालसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:47:31 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम - राधाकिशनपुरा
प.स - राधाकिशनपुरा
तह - जालसू

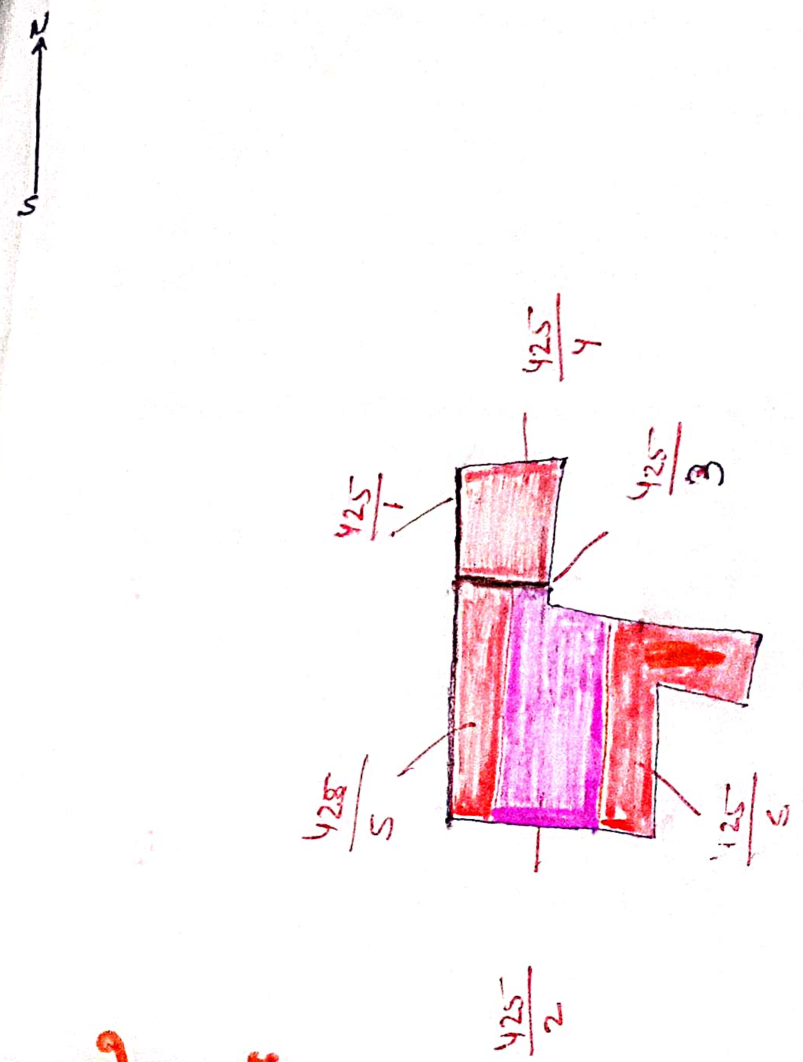

■ गजेन्द्र वगैरह
■ लाडू
■ हीरालाल
■ राधेश्याम

13/6/25
उप तहसीलदार
मुण्डोता तह.-जालसू

13/06/2025
I.R. Radhakishanpura

पटवारी हल्का
राधाकिशनपुरा

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:47:31 IST
Reason: SelfAttested

13/6/25
तहसीलदार
तहसील जालसू